

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
दारु कल्याण सिंह भवन रायपुर

२५/१२/०११

क्रमांक एफ 10-11/2000/न्या.प्र./पार्ट-2,
प्रति,

रायपुर, दिनांक

समस्त कलेक्टर्स
(छत्तीसगढ़)

विषय:- कोटवारों को वर्ष-1950 के पूर्व मालगुजार/प्रोपाइर्ट्स द्वारा दी गई भूमि के संबंध में।

संदर्भ:- इस विभाग का पत्र क्रं.एफ-10-11/2000/सात/समन्वय, दिनांक 20.4.2003

-000-

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। महाधिवक्ता, छ0ग0 शासन से संदर्भित पत्र के संबंध में परामर्श मांगा गया था। महाधिवक्ता छ0ग0 शासन द्वारा इस संबंध में निम्नानुसार अपना मत दिया गया है:-

In my opinion, the State Government must, in these circumstances should immediately withdraw the circular dated 21.4.03 to the extent that it shall not apply in future as from the records available, and to the best of information, it appears that there was no order as such for extending the benefit of Bhumiswami rights to the Kotwar even if they had not approached the Court and no right or interest is conferred on the other Kotwars of any interest in heir and, the government land belonging, cannot be given away, as a bounty and, we must restrain ourselves in distributing the same.

माननीय उच्च न्यायालय ने wp no. 2135/10, 3114/10, 3115/10, 3117/10 एवं 3118/10 जो कि wp no. 2064/2000 की प्रकृति की हैं में दिनांक 04.5.2010 तथा 01.7.2010 को पारित आदेश द्वारा याचिकाओं का निराकरण करते हुए याचिकाकर्ताओं को सक्षम न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का विकल्प दिया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि wp no. 2064/2000 में पारित आदेश सभी कोटवारों की सेवा भूमि के संबंध में लागू नहीं होता, चाहे यह भूमि उन्हें मालगुजार द्वारा ही क्यों न प्रदान की गई हो।

महाधिवक्ता छ0ग0 शासन द्वारा दिये गये अभिमत के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक-एफ-10-11/2000/सात/समन्वय, दिनांक 21.4.2003 एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।



32.
21.12
(पी0 निहालानी)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

//2//

पृ0कमांक एफ 10-11/2000/न्या.प्र./पार्ट-2,

रायपुर, दिनांक 21/12/201

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, (छत्तीसगढ़)
2. आयुक्त, भू-अभिलेख, ^{रायपुर} (छत्तीसगढ़)
3. समस्त संभाग आयुक्त, (छत्तीसगढ़)
4. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
5. महाधिवक्ता, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
6. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, (छत्तीसगढ़)
7. प्रान्ताध्यक्ष, छत्तीसगढ़ कोटवार एसोसिएशन, कर्मचारी भवन, बुढ़ापारा रायपुर
(छत्तीसगढ़) की ओर सूचनार्थ।

उ. / प्रबन्धी N.I.C. की
के लिए राजस्व विभाग से
वेब साइट www.cg.nic.in/Revenue
में अपलोड करने हेतु.

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग